अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 2421, त्रिवेदी भवन, भिण्डों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. दीपक शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा
2. श्रीमती शान्ती उर्फ कमलेश पत्नी श्री दीपक शर्मा
3. प्रशान्त पुत्र श्री दीपक शर्मा
4. श्रीमती नीतू पत्नी श्री प्रशान्त शर्मा
5. कुशल पुत्र श्री दीपक शर्मा
6. आकाश पुत्र श्री दीपक शर्मा
7. दिलीप शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा
8. कृष्णा शर्मा पत्नी श्री दिलीप शर्मा
9. मनीष शर्मा पुत्र श्री दिलीप शर्मा
10. श्रीमती आकांक्षा शर्मा पत्नी श्री मनीष शर्मा
11. देवेश शर्मा पुत्र श्री दिलीप शर्मा
12. गगन शर्मा पुत्र श्री दिलीप शर्मा

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी 2421, त्रिवेदी भवन, भिण्डों का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.03.2022 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 48/2020 व उनवानी रामस्वरूप शर्मा बनाम दीपक शर्मा व अन्य

उपस्थित
1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7, 9 व 11 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 20.10.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 48/2020 व उनवानी रामस्वरूप शर्मा बनाम दीपक शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7, 9 व 11 उपस्थित हुये । अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस लिखित बहस पेश करते हुये अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा स्वयं के पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 में अपीलार्थी की ओर से वांछित रिलीफ पर गौर नहीं किया जाकर केवल मात्र भरण पोषण की राशि दिलवाये जाने पर गौर फरमाया गया है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा याचिका की मद संख्या (ग) में वांछित अनुतोष जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 से कब्जा खाली करवाये जाने की रिलीफ चाही गई थी, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा उक्त वांछित रिलीफ के संबंध में ना तो कोई विवेचना की गई है एवं ना ही इस संबंध में कोई निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जयपुर उत्तर द्वारा स्वयं के पत्र क्रमांक 6092 दिनांक 11.09.2022 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि परिवादी को रेस्पोडेन्ट्स से जान माल का खतरा है, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को नजर अन्दाज कर स्वयं का निर्णय पारित किया है। चूंकि निर्णय दिनांक 07.03.2022 अधीनस्थ अधिकरण द्वारा केवल मात्र फौरी तौर पर आदेश लिखवाया गया है, कोई विस्तृत निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं लिखवाया गया है.। ना ही सम्पत्ति की व्यवस्था एवं स्थिति के सम्बन्ध में कोई विस्तृत विवेचना की गई है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। मकान नं. 2421 त्रिवेदी भवन, भिण्डों का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर अपीलार्थी द्वारा स्व अर्जित आय से अर्जित किया है। चूंकि उक्त अधिनियम के आज्ञात्मक प्रावधानो में यह स्पष्ट अंकित है कि बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं अर्जित आय से क्रय शुदा स्वयं की सम्पत्ति एवं जान की सुरक्षा हेतु किसी भी पक्ष को बेदखल कर सम्पत्ति को संरक्षित कर सकता है, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो कि कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा स्वयं के पारित निर्णय में इस तथ्य को भी दरकिनार किया गया है कि याचिका की मद संख्या (क) में वांछित अनुतोष जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 से प्रार्थी के साथ गाली गलौच मारपीट ना किये जाने तथा प्रार्थी के मकान में रहने मे किसी प्रकार की कोई बाधा कारित न किये जाने की रिलीफ चाही है। अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा उकत वांछित रिलीफ के सम्बन्ध में कोई विवेचना स्वयं के निर्णय में नहीं की गई है, इस कारण अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है । अपीलार्थी 85 वर्षीय अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति है साथ ही उच्च रक्तचाप से ग्रसित मरीज है तथा अपीलार्थी के आहार, वस्त्र और चिकित्सीय परिचर्या का खर्चा अत्यधिक है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 10,000/–रूपये प्रति माह देने में पूर्ण रूप से सक्षम है । इस कारण से अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 से 10,000/–रूपये प्रति माह निर्वाह राशि दिलवाये जाने हेतु आवेदन किया गया था, लेकिन अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दिनाक 07.03.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 7 को प्रत्येक द्वारा 5,000–5000 रूपये अदा किये जाने का आदेश फरमाया दिया जबकि अपीलार्थी द्वारा मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 से ही भरण पोषण की रिलीफ हेतु आवेदन

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

किया गया था, ना कि अप्रार्थी संख्या 7 से भरण पोषण की रिलीफ हेतु आवेदन किया था। अधीनस्थ अधिकरण ने आवेदन पत्र मात्र भरण पोषण राशि का मान कर फोरी तौर पर कार्यवाही की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अपीलार्थी के स्वामित्व के परिसर मे रिहायश हेतु एक मंजिल ही है तथा परिसर में एक मंजिल पर प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 ने अवैद्य रूप से कब्जा कर रखा है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 से उक्त परिसर खाली करवाया जाता है तो अपीलार्थी एक मंजिल को किराये पर देकर स्वंय का निर्वाह कर सकता है एवं कानून की धारा 29 के मुताबिक भी अपीलार्थी को भरण पोषण करने हेतु स्वयं के स्वामित्व की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त परिसर को खाली ना करवाया जाकर अपने निर्णय में त्रुटि की है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण का निर्णय निरस्तनीय है। तर्को के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के Sachin & Anr V/s Jhabbu Lal & Anr RSA 136/2016 & CM No.19123/2016 के आदेश का पैरा नम्बर 15 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की डिविजन बैंच भी राकेश सोनी व अन्य बनाम प्रेमलता सोनी व एवं अन्य के मामले मे DB Special Appeal (Writ) No. 920/2019 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा आदेश दिनांक 07.03.2022 को पारित किये हुये आज 7 माह से भी अधिक समयवधि का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 पर अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 7.03.2022 का कोई प्रभाव नही है तथा ना ही प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा आदेश की पालना आज दिवस तक की जा रही है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 का ऐसा अपकृत्य अधीनस्थ अधिकरण के आदेशों की अवमानना की श्रेणी मे आता है जो गम्भीर एव अक्षमनीय अपराध है। अतः अपीलार्थी की स्वयं की आय से अर्जित सम्पत्ति मकान नं. 2421 त्रिवेदी भवन, भिण्डों का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा किये गैर कानूनी कब्जे को खाली करा कर कब्जा अपीलार्थी को सम्भलाया जावे तथा रेसपोडेन्ट 1 लगायत 6 से भरण पोषण की राशि मे वृद्वि कर राशि 10,000/–रूपये दिलावायी जावे। साथ ही रेसपोडेन्ट संख्या 1 ता 6 को पाबन्द किया जावे कि वे अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार की मारपीट व हिंसा कारित नहीं करे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ अधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की आय का आंकलन किये बिना ही दोनों पुत्रों को 5000–5000/–रूपये बतौर भरण पोषण के दिये जाने का आदेश दिया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अतः भरण पोषण राशि दिये जाने के आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 1 की हद तक अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एव मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर तीन अनुतोष चाहे है। प्रथम, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार की गाली गलौच, मारपीट नही करे और ना ही अपीलार्थी के मकान मे रहने मे किसी प्रकार की कोई बाधा कारित करे। इसके लिए अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश से प्रत्यर्थीगण को पाबन्द कर दिया गया है। द्वितीय, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 से 10,000/–रूपये दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। इसके लिए अपीलार्थी के दोनो पुत्रो प्रत्यर्थी संख्या 1 व 7 से 5000–5000 रूपये प्रति माह दिये जाने के आदेश पारित किये

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

गये है, जो उचित है। तृतीय, अपीलार्थी द्वारा स्व अर्जित आय से खरीद किये गये उक्त मकान से प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 से खाली कराया जाकर कब्जा दिलाये जाने के अनुतोष पर कोई विवेचना नही की गई है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) इस प्रकार है– Section 23. Transfer of property to be void in certain circumstances– (1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has transferred by way of gift or otherwise, his property. Subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transfer and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transfer or be declared void by the Tribunal.

इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती, अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति का अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा अन्तरण शून्य घोषित किया जावेगा । इस प्रकार धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। अन्यथा शब्द में लिखित व मौखिक अन्तरण हो सकता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत बेदखली का आदेश दिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में पारित किये गये है । इस मामले में अपीलार्थी के जीवन व उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अपीलार्थी की सम्पत्ति से प्रत्यर्थीगण की बेदखली के बिन्दु पर उभय पक्ष सुन कर मामले का निस्तारण करने के लिए प्रकरण अधीनस्थ अधिकरण को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है ।

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 07.03.2022 को यथावत रखते हुये अधीनस्थ अधिकरण को प्रकरण प्रतिप्रेषत कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के जीवन व स्व अर्जित सम्पत्ति की सुरक्षार्थ प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण के मकान से बेदखली के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर तदनुसार नये सिरे से निर्णत पारित करें।

आदेश की प्रति हस्व कायदा धारा 16 (7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर